लोक सभा में 29 फरवरी, 2008
को पुरःस्थापित रूप में

2008 का विधेयक संख्यांक 17

[दि फाइनेंस बिल, 2008 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2008

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2008 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 62 तक 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख दस हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख दस हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख दस हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पैंतालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचानवे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

http://indiabudget.nic.in

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, या अनुषंगी फायदों के संबंध में, जो धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य हैं, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से,

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों की बाबत इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं वहां आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय, जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां ऐसी संगृहीत और ऐसे संग्रहण के अध्यधीन राशि या कुल राशि, जो दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और ऐसे संग्रहण के अध्यधीन रकम या ऐसी कुल रकमें एक करोड़ रुपए से अधिक हैं, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां रकम या ऐसी कुल रकम का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, और ऐसी आय पर ऐसे "अग्रिम कर" और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम से आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों की बाबत पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं वहां "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, केवल ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए ही, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से इस प्रकार प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पच्चीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों, जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं, की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए, जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है, कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1क) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से व्युत्पन्न कोई आय कृषि आय समझी जाएगी;";

(ख) खंड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(15) "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना भी है :

परंतु सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो;' ।

धारा 10 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

1997 का 26

(क) खंड (26कक), जिसका वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा लोप कर दिया गया है, के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1990 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(26ककक) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो सिक्किमी है, उसे निम्नलिखित से प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय—

(क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से ; या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसी किसी सिक्किमी स्त्री को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् ऐसे किसी व्यष्टि से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किमी" से,—

(i) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पूर्व सिक्किम प्रजा नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन रखे गए रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिक्किम प्रजा रजिस्टर" कहा गया है) अभिलिखित है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं0 26030/36/90-आई.सी.आई., तारीख 7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 के उसी संख्या के आदेश के आधार पर सिक्किम प्रजा रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है ; या

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम सिक्किम प्रजा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है किन्तु संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या दादा या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है ;";

(ख) खंड (29क) में उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1953 का 45

"(ज) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड ;";

(ग) खंड (42) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(43) किसी व्यष्टि को धारा 47 के खंड (xvi) में निर्दिष्ट प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में ऋण के रूप में, चाहे एकमुश्त या किश्तों में, प्राप्त कोई आय ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर कोई ऐसी रकम, जो किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त की गई हो :

परंतु ऐसी कंपनी,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत हो,

(आ) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास करने का हो,

(इ) उसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और

(ई) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो जो विहित की जाएं ;";

(ख) उपधारा (2कख) के खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5

"(6) उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपखंड (इ) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् उपगत किया गया है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 35घ का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "औद्योगिक एकक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "एकक" शब्द रखा जाएगा । 10

धारा 36 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(xv) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है । 15

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति संव्यवहार कर" और "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में हैं ; 2004 का 23

(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है । 20

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 में हैं ।'।

धारा 40 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iख) का 1 अप्रैल, 2009 से लोप किया जाएगा।

धारा 40क का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएंगी, अर्थात् :— 25

"(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3क) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी व्यय की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अनुज्ञात किया गया है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार यदि किसी दिन व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक है तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी : 30 35

परंतु जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय या कुल संदाय किसी दिन में, किसी व्यक्ति को बैंक पर लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सेवाओं की प्रकृति और सीमा, कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय उपधारा (3) और इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा ।"। 40

धारा 43 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (6) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 6**—जहां कोई निर्धारिती विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने के लिए अपेक्षित नहीं था वहां,—

(क) किसी आस्ति की वास्तविक लागत को लेखा बहियों में ऐसी आस्ति के, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली रकम से समायोजित किया जाएगा ; 45

(ख) ऐसी आस्ति पर अवक्षयण की कुल रकम से जो विचाराधीन निर्धारण वर्ष में सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत निर्धारिती की लेखा बहियों में दी गई है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण समझा जाएगा ; और

(ग) खंड (ख) के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण को आस्ति के ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण मान्य अवक्षयण की रकम से समायोजित किया जाएगा ।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन।

(क) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xक) धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में परिवर्तन के रूप में कोई अंतरण ;" ;

(ख) खंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xvi) केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 49 का संशोधन।

"(2क) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) या खंड (xक) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या निक्षेप प्रमाणपत्र की, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है, लागत का भाग समझी जाएगी ।"।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में,— धारा 80ग का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में, खंड (xxii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(xxiii) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में ;

(xxiv) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्षीय सावधि जमा के रूप में ।";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) यदि कोई रकम, जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी है, निर्धारिती द्वारा, उसके निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट उसके खाते से निकाली जाती है तो इस प्रकार निकाली गई रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी :

परंतु कर के लिए दायी रकम में निम्नलिखित रकमें सम्मिलित नहीं होंगी, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट निक्षेपों के संबंध में ब्याज की कोई रकम, जो पूर्ववर्ष या ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है ; और

(ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर निर्धारिती के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा उस पर प्रोद्भूत ब्याज से भिन्न, यदि कोई हो, प्राप्त कोई रकम जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई थी ।"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 80घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'80घ. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि की कटौती की जाएगी जिसका संदाय उसकी कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ष में नकद से भिन्न किसी ढंग से किया गया है । स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती।

(2) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो ; और

(ख) निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" से निर्धारिती का पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक अभिप्रेत हैं ।

(3) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम होगी जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय उनमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।

(5) इस धारा में निर्दिष्ट बीमा,—

(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ; या 1972 का 57

(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा।'। 1999 का 41

धारा 80झख का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

(क) उपधारा (9) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती खनिज तेल के परिष्करण में लगे हुए किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी यदि वह परिष्करण का कार्य 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।";

(ख) उपधारा (11ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(11ग) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो अपवर्जित क्षेत्र से भिन्न, भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय ऐसे अस्पताल का सन्निर्माण किया गया है और उसने अपना काम करना आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है ;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम-से-कम सौ बिस्तर हैं ;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों या उपविधियों के अनुसार है ; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं और धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई अस्पताल उस तारीख को संनिर्मित समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण की बाबत संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है ;

(ख) "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें अस्पताल का कारबार कार्य आरंभ करता है ;

(ग) "अपवर्जित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं—

(i) बृहतर मुम्बई नगर क्षेत्र ;

(ii) दिल्ली नगर क्षेत्र ;

(iii) कोलकाता नगर क्षेत्र ;

(iv) चेन्नई नगर क्षेत्र ;

(v) हैदराबाद नगर क्षेत्र ;

(vi) बंगलौर नगर क्षेत्र ;

(vii) अहमदाबाद नगर क्षेत्र ;

(viii) फरीदाबाद जिला ;

(ix) गुड़गांव जिला ;

(x) गौतम बुद्ध नगर जिला ;

(xi) गाजियाबाद जिला ;

(xii) गांधीनगर जिला ; और

(xiii) सिकंदराबाद शहर ;

(घ) नगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे नगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।'।

धारा 80झघ का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (2) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ।";

(ख) उपधारा (6) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले" से नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट जिले अभिप्रेत हैं:

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	जलगांव	महाराष्ट्र
3.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
4.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
5.	पुरी	उड़ीसा
6.	भरतपुर	राजस्थान
7.	छतरपुर	मध्य प्रदेश
8.	तंजावुर	तमिलनाडु
9.	बेलारी	कर्नाटक
10.	दक्षिण 24 परगना (2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता नगर क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)	पश्चिमी बंगाल
11.	चमोली	उत्तराखंड
12.	रायसेन	मध्य प्रदेश
13.	गया	बिहार
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश
15.	पंचमहल	गुजरात
16.	कामरूप	असम
17.	गोलपाड़ा	असम
18.	नागांव	असम
19.	उत्तरी गोवा	गोवा
20.	दक्षिणी गोवा	गोवा
21.	दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल
22.	नीलगिरी	तमिलनाडु।'।

धारा 88ङ का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 88ङ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 111क का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के खंड (i) में, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 115कघ का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के परंतुक में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 115ञख का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात्,—

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (छ) के पश्चात्, "निर्दिष्ट कोई रकम" शब्दों से आरंभ होने वाले और "घटा दिए गए हैं,—" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) आस्थगित कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था,

यदि खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से घटा दी जाती है,";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, आय-कर की रकम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) धारा 115ण के अधीन वितरित लाभ या धारा 115द के अधीन वितरित आय पर कर ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित कोई ब्याज ;

(iii) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत अधिभार, यदि कोई हो ;

(iv) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ; और

(v) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ।"।

धारा 115ण का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि,—

(क) लाभांश उसके समनुषंगी से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि समनुषंगी कंपनी ने लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और

(ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है :

परंतु लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार कमी के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारण करती है ।"।

धारा 115बख का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उपखंड (i) में "तथा इसके अंतर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है" शब्दों के स्थान पर, "और जहां कर्मचारी स्टाक विकल्प उसकी किसी योजना या स्कीम के अधीन दिया गया है वहां इसके अंतर्गत ऐसी योजना या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(I) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) ऐसे अहस्तांतरणीय पूर्व संदत्त इलैक्ट्रानिक मील कार्ड पर कोई व्यय या उसके द्वारा संदाय, जो केवल भोजन स्थलों या दुकानों पर ही उपयोग के योग्य है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ;";

(II) खंड (ङ) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के संबंध में उपगत किसी व्यय या किए गए संदाय को कर्मचारी कल्याण के लिए व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा,—

(i) किसी कानूनी बाध्यता को पूरा करने ; या

(ii) व्यवसाय संबंधी परिसंकट को दूर करने ; या

(iii) नियोजक द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या औषधालय में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने ; या

(iv) कर्मचारी के बालकों के लिए शिशु गृह सुविधा प्रदान करने ; या

(v) ऐसे किसी खिलाड़ी को प्रायोजित करने जो कर्मचारी है ; या

(vi) कर्मचारियों के लिए खेलकूद समारोह आयोजित करने ;";

(III) खंड (ट) का लोप किया जाएगा ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 115बग की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2009 से,— धारा 115बग का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "खंड (क) से खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) से खंड (ठ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, "खंड (ठ) से खंड (त)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (ड) से खंड (त)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "31 अक्तूबर" अंक और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 115बघ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 115बङ का संशोधन ।

'(1) जहां धारा 115बघ के अधीन विवरणी दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ;

(ख) कर और ब्याज यदि कोई है, की संगणना, खंड (क) के अधीन संगणित अनुषंगी फायदों के मूल्य के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण संदत्त किसी अग्रिम कर, स्वनिर्धारण के आधार पर संदत्त कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम का खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, में समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) कोई सूचना खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से ऐसा दावा अभिप्रेत है जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो उसी विवरणी की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है या ऐसी विवरणी में किसी अन्य मद से संबंधित है ;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है ; या

(iii) किसी कटौती या अनुषंगी फायदों के मूल्य की बाबत है, जहां ऐसी कटौती या ऐसा मूल्य विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धन के रूप में रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की जा सकती थी ;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उस उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथापि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।'।

नई धारा 115बटख का अंतःस्थापन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115बटक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर्मचारी द्वारा कर का समझा गया संदाय ।

"115बटख. (1) जहां किसी नियोजक ने धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य शेयरों के आबंटन की बाबत किसी अनुषंगी फायदा कर का संदाय कर दिया है और बाद में ऐसा कर कर्मचारी से वसूल कर लिया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि इस प्रकार वसूल किया गया अनुषंगी फायदा कर उस कर्मचारी द्वारा केवल उस सीमा तक उसे उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य के संबंध में संदत्त कर है, जिस तक उसकी रकम धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन यथा अवधारित, ऐसे कर्मचारी को प्रदान किए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य से संबंधित है ।

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां कर्मचारी से वसूल किए गए अनुषंगी फायदा कर को उपधारा (1) के अधीन ऐसे कर्मचारी द्वारा संदत्त कर समझा गया है वहां ऐसा कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन,—

(i) कर के ऐसे संदाय में से किसी प्रतिदाय के लिए ; या

(ii) कर के ऐसे संदाय का अन्य आय संबंधी कर दायित्व के संबंध में या किसी अन्य कर दायित्व के संबंध में किसी मुजरे का,

दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 139 का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में, "अक्तूबर का 31वां दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2008 के पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 142 का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2ग) के परंतुक में, "इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्दों के स्थान पर, "स्वप्रेरणा से या इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'(1) जहां विवरणी धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) कुल आय या हानि की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ; या

(ख) कर और ब्याज की, यदि कोई हो, संगणना खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम, स्रोत पर काटे गए किसी कर, स्रोत पर संगृहीत किसी कर, संदत्त किसी अग्रिम कर, धारा 90 या धारा 90क किसी करार के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत या धारा 91 के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत, अध्याय 8 के भाग क के अधीन अनुज्ञेय किसी रिबेट, स्वनिर्धारण पर संदत्त किसी कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी :

परंतु सूचना निर्धारिती को ऐसे मामले में भी भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित हानि कम कर दी गई है किंतु उसके द्वारा कोई कर या ब्याज संदेय नहीं है या कोई प्रतिदाय उसे देय नहीं है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी गई थी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है ;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है ; या

(iii) किसी कटौती की बाबत है जहां ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धन के रूप में रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की गई होती ;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों पर कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु खंड (ii) के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें विवरणी दी जाती है, छह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी ।"।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 147 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 147 का संशोधन।

"परंतु यह और कि निर्धारण अधिकारी, उस आय से भिन्न, जिसमें ऐसे विषय अंतर्वलित हैं जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, ऐसी आय का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा ।"।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 151 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 151 का संशोधन।

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के पश्चात् ,— धारा 153 का संशोधन।

(क) निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा, धारा 153क की उपधारा (2) और धारा 153ख की उपधारा (1) के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनःप्रवर्तित हो गया है, ऐसे पुनःप्रवर्तन के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जाएगा ।";

(ख) स्पष्टीकरण 1 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा के अधीन उपलब्ध परिसीमा की अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी; और धारा 149, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खङ और धारा 231 के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, यह परन्तुक भी तदनुसार लागू होगा।"।

धारा 153क का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 153क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "इस धारा में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "इस उपधारा में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही या किया गया निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश अपील में या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है तो, उपधारा (1) या धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जिसका उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पुनःप्रवर्तित हो जाएगा :

परंतु यदि बातिलीकरण का ऐसा आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुनःप्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा ।"।

धारा 153ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में, 1 जून, 2003 से,—

(i) खंड (क) में, "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (vi) के पश्चात् और "अपवर्जित की जाएगी" शब्दों से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातिलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि, जिसको आयुक्त को ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है ।";

(आ) परंतुक में, "इस धारा के खंड (क) या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 153ग का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) के परंतुक में "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 153घ का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 153घ में "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 156 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 156 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने के लिए किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उस उपधारा के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी ।"।

धारा 191 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 191 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 2003 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है और जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) के अर्थ के भीतर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा ।"।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (viii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 193 का संशोधन।

"(ix) किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय कोई ब्याज ।"। 1956 का 42

40. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) में, खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 194ग का संशोधन।

"(ञक) कोई व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ; या"।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 195 का संशोधन।

"(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।"।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 199 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 199 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"199. (1) ऐसी कोई कटौती, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई है, यथास्थिति, उस व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय से कटौती की गई थी या प्रतिभूति के स्वामी या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी या यूनिटधारक अथवा शेयरधारक की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी । कटौती किए गए कर के लिए मुजरा।

(2) ऐसी कोई राशि, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जिसका केन्द्रीय सरकार को संदाय कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, संदत्त कर समझी जाएगी ।

(3) बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों के निबंधनानुसार कटौती किए गए कर या संदत्त कर की बाबत मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा, जो आवश्यक हों, जिनके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को और उस निर्धारण वर्ष को, जिसके लिए ऐसा मुजरा दिया जा सकेगा, मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं ।"।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जून, 2002 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :— धारा 201 का संशोधन।

"(1) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के अधीन ऐसी कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की कटौती करने और उसका संदाय करने में, ठोस और पर्याप्त कारणों के बिना, असफल रहा है ।"।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2008" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 203 का संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,— धारा 206ग का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और ऐसे व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए ऐसे नियमों के अनुसार, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं, मुजरा दिया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, "1 अप्रैल, 2008" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 254 का संशोधन।

"परंतु यह भी कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर, जो किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार निपटारा नहीं किया

जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार बातिल हो जाएगा मानो अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं हुआ है ।"।

नई धारा 268क का अंतःस्थापन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 268 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1999 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन का फाइल किया जाना ।

"268क. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धनीय सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश या अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवाद्यक के संबंध में, कोई अपील निर्देश के लिए या आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी,—

(क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारिती के ; या

(ख) उसी या अन्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती के,

मामले में उसी विवाद्यक पर निर्देश के लिए कोई अपील या आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा ।

(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में अपील या निर्देश के लिए कोई आवेदन फाइल न करने के बारे में विवादग्रस्त विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा जिनके अधीन किसी मामले की बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं किया गया था ।

(5) ऐसे प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निर्देश को, जो बोर्ड द्वारा किसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन को फाइल करने के संबंध में धनीय सीमाओं को नियत करने के लिए जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।"।

धारा 271 का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती की कुल आय या हानि की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्देश अंतर्विष्ट है, तो निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है ।"।

नई धारा 273कक का अंतःस्थापन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 273क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

"273कक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम

के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती ।"।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 278कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 278कख का अंतःस्थापन ।

"278कख. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है । अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है :

परंतु जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा । 1860 का 45

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।"।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 282 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 282क का अंतःस्थापन ।

"282क. (1) जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिएं, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख में हस्ताक्षर किया जाएगा । सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण।

(2) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस दस्तावेज पर मुद्रित, स्टांपित अथवा अन्यथा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है ।"।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 292ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 292खख का अंतःस्थापन ।

"292खख. जहां कोई निर्धारिती किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में या जांच में उपसंजात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना,— सूचना का कतिपय मामलों में विधिमान्य समझा जाना ।

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी ; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी ।"।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 292ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और,— धारा 292ग का संशोधन।

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, "धारा 132 के अधीन किसी तलाशी" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले

अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थी ।"।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 295 का संशोधन।

"(चक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी ;"।

55. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "31 मार्च, 2008" शब्द और अंकों के स्थान पर, "31 मार्च, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

धन-कर

56. धन-कर अधिनियम की धारा 17 में,—

धारा 17 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि निर्धारण अधिकारी, उस शुद्ध धन से जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, भिन्न, ऐसे शुद्ध धन का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा, अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।

57. धन-कर अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (4) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 17क का संशोधन।

"परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, धारा 22जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम की है वहां उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा।"।

58. धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 18 का संशोधन।

"(1क) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्देश अंतर्विष्ट है वहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है ।"।

59. धन-कर अधिनियम की धारा 18ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 18खक का अंतःस्थापन ।

"18खक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(क) उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है ;

(ख) इस धारा के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती ।"।

60. धन-कर अधिनियम की धारा 35छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 35छक का अंतःस्थापन ।

"35छक. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है। अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है :

परंतु जहां धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

1860 का 45

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।"।

61. धन-कर अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 42 का अंतःस्थापन।

"42. जहां कोई निर्धारिती निर्धारण या पुनःनिर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही या जांच में उपसंजात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना— कतिपय परिस्थितियों में सूचना का विधिमान्य समझा जाना।

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी ; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी ।"।

62. धन-कर अधिनियम की धारा 42घ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— धारा 42घ का संशोधन।

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 37ख की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थीं।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28ख का संशोधन।

63. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 28ख में,— 1962 का 52

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से किसी रीति में किसी माल पर निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक कोई रकम संगृहीत या संदत्त की है या ऐसे किसी माल पर सीमाशुल्क के रूप में कोई रकम संगृहीत की है जो पूर्णतया शुल्क से छूट प्राप्त है या शून्य दर पर प्रभार्य है, इस प्रकार संगृहीत रकम का, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में तुरंत संदाय करेगा ।'';

(ii) उपधारा (2) में ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, '',यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) ''उपधारा (1) या उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर,, '',यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 108 का संशोधन।

64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) में, ''केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किए गए'' शब्दों का लोप किया जाएगा और 13 जुलाई, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 117 का संशोधन।

65. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 में, ''दस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129क का संशोधन।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु जहां सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और सीमाशुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो समुचित अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है जिसकी उस विषय में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।'।

धारा 129घ का संशोधन।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु जहां सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, सीमाशुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए विनिश्चय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिया गया विनिश्चय या आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।''।

नई धारा 129ङङ का अंतःस्थापन ।

धारा 129ङ के परंतुक के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''129ङङ. जहां धारा 129ङ के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 27क में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा ।''।

धारा 141 का संशोधन।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(2) आयातित या निर्यात माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित या अन्यथा संभाला जाएगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे जो विहित किए जाएं ।''।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 158 का संशोधन।

''(ii) यह उपबंध कर सकता है कि कोई व्यक्ति, जो किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है या किसी नियम या विनियम में किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।''।

71. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 277(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 में, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा0का0नि0 673(अ), तारीख 17 नवंबर, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई शर्त सं0 7, जो यह उपबंध करती है ''कि आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र में विकलित की गई रकम के लिए उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहणीय अतिरिक्त शुल्क की वापसी या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार होगा'', विधिमान्य रूप से सभी प्रयोजनों के लिए 4 जून, 2005 से ही सभी तात्विक समयों पर प्रभावी हुई और सदैव प्रभावी हुई समझी जाएगी । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन ।

1962 का 52

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप किसी ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो उस दशा में इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

सीमाशुल्क टैरिफ

72. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,— 1975 के अधिनियम 51 का संशोधन।

(i) पहली अनुसूची का संशोधन, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ;

(ii) दूसरी अनुसूची का संशोधन, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

73. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''माल'' के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ है, जो प्रतिफल के लिए क्रय और विक्रय किए जाने के योग्य है और ऐसा माल विपण्य समझा जाएगा ।'।

74. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 3क का अंतःस्थापन।

अधिसूचित माल की बाबत उत्पादन की क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

'3क. (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार की, किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति को, ऐसे माल के संबंध में शुल्क से अपवंचन की सीमा या ऐसे अन्य कारकों को, जो सुसंगत हों, ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि राजस्व के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे माल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है वहां केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण की रीति का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक क्षमता ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा ; या

(ख) (i) ऐसे माल के उत्पादन से सुसंगत कारक और उस मात्रा को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका ऐसे कारक की किसी इकाई के उपयोग द्वारा उत्पादन किया जाना माना जाता है ; और

(ii) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, ऐसे कारक के आधार पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक उत्पादन क्षमता, ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन समझी जाएगी :

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाला कारखाना वर्ष के एक भाग में ही चलता है, वहां उसके वार्षिक उत्पादन की संगणना वार्षिक उत्पादन क्षमता के आनुपातिक आधार पर की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां उत्पादन से संबंधित कारक वर्ष के दौरान किसी समय परिवर्तित या उपांतरित किया जाता है, वहां वार्षिक उत्पादन का पुनः निर्धारण ऐसे परिवर्तन या उपांतरण को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर किया जाएगा ।

(3) अधिसूचित माल पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण, यथास्थिति, उत्पादन एकक पर या उत्पादन से सुसंगत कारक के आधार पर ऐसी दर पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और उसका संग्रहण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाले कारखाने ने पन्द्रह दिन की या उससे अधिक की लगातार किसी अवधि के दौरान अधिसूचित माल का उत्पादन नहीं किया है, वहां आनुपातिक आधार पर संगणित शुल्क को ऐसी अवधि की बाबत कम कर दिया जाएगा यदि ऐसे माल का विनिर्माता ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क समझा जाएगा । 1975 का 51 1986 का 5

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम'' पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 3 में है।'। 5

धारा 11ख का संशोधन।

75. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में,—

(i) उपधारा (1) मे,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ; 10

(ii) उपधारा (2) में, पहले परंतुक के खंड (क) और खंड (ग) के सिवाय,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे । 15

धारा 11घ का संशोधन।

76. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर निर्धारित या अवधारित और संदत्त अधिक शुल्क की कोई रकम किसी व्यक्ति से किसी भी रीति में संगृहीत की है या किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है, संगृहीत की है, या वह शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी रकम का तुरंत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करेगा ।''; 20

(ii) उपधारा (2) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में,— 25

(क) ''उपधारा (1) या उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 11घघ का संशोधन।

77. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघ की उपधारा (1) में, ''ऐसे माल के क्रेता से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे माल के क्रेता या किसी व्यक्ति से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है और संदाय की गई है या जहां किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो पूर्णतः शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी रकम को संगृहीत किया है, वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे । 30

धारा 35ख का संशोधन।

78. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 35

'परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निदेश देगा कि वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करे । 40

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।'।

धारा 35ङ का संशोधन।

79. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 45

''परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उसकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो विनिश्चय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

आयुक्त द्वारा पारित किया गया विनिश्चय या आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।''।

नई धारा 35चच का अंतःस्थापन।

80. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 35च के परंतुक के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज।

''35चच. जहां धारा 35च के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11खख में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा ।''।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन।

81. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 699(अ), तारीख 22 सितंबर, 1994 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1944 के नियम 2 द्वारा यथाप्रतिस्थापित नियम 12 चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 8 जुलाई, 1999 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 का संशोधन।

82. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444 (अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 18, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का संशोधन।

83. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसके नियम 18 का छठी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधन हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 मार्च, 2002 से प्रारंभ होने वाली और 7 दिसंबर, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप

से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

84. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है), पहली अनुसूची का संशोधन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

85. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(अ) धारा 65 में, उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (7क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(7ख) ''सहयुक्त उद्यम'' का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में है ;'; 1961 का 43

(2) खंड (12) में,—

(क) उपखंड (क) की मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) दलाली, और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है ;'';

(ख) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारी या किसी प्राधिकृत धन संपरिवर्तक द्वारा, उनसे भिन्न जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, प्रदान की गई विदेशी मुद्रा दलाली और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है ;'';

(ग) इस प्रकार यथासंशोधित उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि ''विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है'' के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय भी है, चाहे, यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय के लिए प्रतिफल पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ;';

(3) खंड (19) में,—

(क) उपखंड (ii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के संवर्धन या विपणन के संबंध में सेवा'' के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा किसी भी रूप में या किसी भी नाम से आयोजित, संचालित या संवर्धित भाग्य के खेल के संवर्धन या विपणन के संबंध में, चाहे आन लाइन द्वारा संचालित की गई हो या नहीं, जिसके अंतर्गत लाटरी, लोटो, बिंगो भी है, उपलब्ध कराई गई कोई सेवा है;';

(ख) ''कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(4) खंड (23) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(23) ''स्थोरा उठाई-धराई सेवा'' से स्थोरा की लदाई, उतराई, पैकिंग या पैकिंग हटाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) विशेष आधानों में ढुलाई के लिए या गैर आधानीकृत ढुलाई के लिए दी गई स्थोरा की उठाई-धराई सेवाएं, सभी प्रकार के परिवहन के लिए किसी आधान ढुलाई टर्मिनल या किसी अन्य ढुलाई टर्मिनल द्वारा दी गई सेवाएं और ढुलाई से आनुषंगिक और स्थोरा उठाई-धराई सेवा ; और

(ख) लदाई, उतराई, पैकिंग हटाने जैसी एक या अधिक अन्य सेवाओं सहित या रहित स्थोरा या माल के परिवहन के साथ पैंकिंग की सेवा,

किंतु इसके अंतर्गत निर्यात स्थोरा या यात्री सामान की उठाई-धराई या केवल माल का परिवहन नहीं है ;';

(5) खंड (31) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(6) खंड (53) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(53क) ''सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर'' से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिरूप का कोई प्रतिरूपण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत स्रोत कोड और वस्तु कोड भी है, जो किसी यंत्र में पठनीय रूप में अंकित किया गया है और किसी कम्प्यूटर या स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के माध्यम से उपभोक्ता को परिचालित या पारस्परिक क्रिया करने के योग्य है ;';

(7) खंड (57क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(57क) ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) इंटरनेट आधार सेवाएं, जिसके अंतर्गत एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता को दी गई इंटरनेट ट्रैफिक की वाहक सेवाएं भी हैं;

(ii) इंटरनेट पहुंच सेवाएं, जिसके अंतर्गत इंटरनेट से सीधे संपर्क और ग्राहक के वेब पृष्ठ के लिए स्थान का उपबंध भी है;

(iii) दूरसंचार सेवाओं का उपबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेट पर फैक्स, टेलीफोनी, ऑडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है ;';

(8) खंड (64) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''माल'' के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है ;

(ख) ''संपत्ति'' के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर भी है ;';

(9) खंड (68) में ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(10) खंड (75) में ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(11) खंड (86ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(86घ) ''प्रसंस्करण और निकासगृह'' से निकास निगम सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे निम्नलिखित के संबंध में निकासगृह के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा प्राधिकृत या समनुदेशित किया गया है—

(i) प्रतिभूति, माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय और उनके अंतर के लिए या उनके संबंध में संविदाओं के आवधिक निपटान ;

(ii) प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के परिदान और उनके लिए संदाय ;

(iii) प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं से आनुषंगिक या संबंधित कोई अन्य विषय ;';

(12) खंड (90क) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''स्थावर संपत्ति को किराए पर देना,'' के अंतर्गत किसी स्थावर संपत्ति में, उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण पर ध्यान दिए बिना, स्थान के प्रयोग की अनुज्ञा या अनुमति देना भी है ;';

(13) खंड (92) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(14) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (ङ), उपखंड (ज), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यग), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यप), उपखंड (ययन) और उपखंड (ययब) में आरंभ में आने वाले ''किसी कक्षीकार को" शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (च), उपखंड (ठ), उपखंड (यख), उपखंड (यज), उपखंड (यङ), उपखंड (यण), उपखंड (यथ), उपखंड (यन), उपखंड (यय), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययत), उपखंड (ययफ) और उपखंड (ययभ) में आरंभ में आने वाले ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(छ) किसी व्यक्ति को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी की शाखा भी है, किसी रीति में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा,

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी दोनों की शाखाओं में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में परामर्शी इंजीनियर द्वारा दी गई सेवाएं भी इस उपखंड के अधीन वर्गीकृत किए जाने के योग्य होंगी ;'';

http://indiabudget.nic.in

(घ) उपखंड (ङ) में, ''किसी कक्षीकार को'' और ''कक्षीकार'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः ''किसी व्यक्ति को'' और ''ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपखंड (ययट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ययट) किसी व्यक्ति को, विदेशी मुद्रा में किसी प्राधिकृत व्यवहारी या किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न किसी प्राधिकृत मुद्रा संपरिवर्तक या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है या उपखंड (यड) में निर्दिष्ट किसी अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान सहित किसी विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा ;'';

(च) उपखंड (यययप) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययययघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''(ययययङ) किसी व्यक्ति को, कारबार के या वाणिज्यिक प्रक्रम या अग्रसरण में प्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास,

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अध्ययन, विश्लेषण, डिजाइन और कार्यक्रमण,

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अनुकूलन, उन्नयन, संवर्धन, कार्यान्वयन और उससे संबंधित अन्य ऐसी सेवाएं,

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर से संबंधित विषयों पर सलाह, परामर्श और सहायता देना, जिसके अंतर्गत किसी पद्धति के कार्यान्वयन, डाटा आधारित डिजाइन के लिए विनिर्देशों, किसी नई पद्धति के आरंभिक चरण के दौरान मार्गदर्शन और सहायता, डाटा आधार को सुरक्षित रखने के विनिर्देश, स्वामित्व संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सलाह के संबंध में साध्यता अध्ययनों का संचालन करना भी है,

(v) वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अधिकार अर्जित करना, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के पुनः निर्माण, वितरण और विक्रय करने का अधिकार और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उत्पादों के सृजन और उनमें सम्मिलित किए जाने के लिए सॉफ्टवेयर घटकों के प्रयोग का अधिकार भी है,

(vi) इलैक्ट्रानिक रूप में प्रदाय किए गए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार अर्जित करना;

(ययययच) किसी पालिसीधारक को, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन, जिसे सामान्य रूप से यूनिटबद्ध बीमा योजना (यूलिप) स्कीम के नाम से जाना जाता है, विनिधान के प्रबंध के संबंध में, जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध बीमा कारबार की पृथक् की गई निधि का प्रबंध, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा ; और

(ii) उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली उक्त सेवाओं के लिए पालिसीधारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित सकल रकम निम्नलिखित के बीच के अंतर के बराबर होगी,—

(क) यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए पालिसीधारक द्वारा संदाय किया गया प्रीमियम; और

(ख) जोखिम के लिए, चाहे जीवन, स्वास्थ्य या अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो, संदत्त या मान्य प्रीमियम की राशि और वास्तविक विनिधान के लिए, पृथक् की गई रकम ।

दृष्टांत

यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए संदत्त कुल प्रीमियम = 100/- रुपए

जोखिम प्रीमियम = 10/- रुपए

वास्तव में विनिधान की गई रकम = 85/- रुपए

उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम = 5/- रुपए [100-(10 + 85)] ;

(iii) खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त, प्रभारित सकल रकम में बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक से बाद में प्रभारित, चाहे आवधिक रूप से या नहीं, कोई रकम सम्मिलित होगी ;

(ययययछ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों के क्रय करने, विक्रय करने या उनमें व्यवहार करने के कारबार में सहायता देने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा;

(ययययज) किसी व्यक्ति को, किसी माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय के कारबार में सहायता करने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत माल या अग्रिम संविदा के व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और

संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा ;

(यययझ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं के आनुषंगिक या उससे संबद्ध कोई अन्य विषय भी हैं, किसी प्रसंस्करण और निकासी गृह द्वारा ;

(ययययञ) किसी व्यक्ति को, मूर्त माल के प्रदाय के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रयोग के लिए मशीनरी, उपस्कर और साधित्र, ऐसी मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों के कब्जे और प्रभावी नियंत्रण को अंतरित करने के अधिकार के बिना भी हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;'';

(15) खंड (106) में, ''माल या सामग्री या'' शब्दों के पश्चात्, ''सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(16) खंड (108) में, ''प्रक्रिया या सामग्री'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''प्रक्रिया या सामग्री या सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर'' शब्द रखे जाएंगे;

(17) खंड (109क) के उपखंड (ग) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे;

(18) खंड (115) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(115) ''पर्यटन प्रचालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के परिवहन द्वारा पर्यटन की योजना, समय सूची बनाने, उसका आयोजन या इंतजाम करने के कारबार में (जिसमें वास-सुविधा, दृश्य अवलोकन या अन्य वैसी ही सेवाओं का इंतजाम सम्मिलित हो सकेगा) लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र, मंजली गाड़ी के अनुज्ञापत्र से भिन्न, के अंतर्गत किसी पर्यटन यान या किसी भी नाम से ज्ञात संविदा वहन में पर्यटन का प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है ।

1988 का 59

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यटन" पद के अंतर्गत किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में कौशल या ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा, वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर से भिन्न, उपयोग के लिए आयोजित या इंतजाम की गई यात्रा नहीं है ;';

(आ) धारा 66 में, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, ''और उपखंड (ययययघ)'' शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''उपखंड (ययययघ), उपखंड (ययययङ), उपखंड (ययययच), उपखंड (ययययछ), उपखंड (ययययज), उपखंड (ययययझ) और उपखंड (ययययञ)'' कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 67 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, ''बही समायोजन'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'बही समायोजन और जहां कराधेय सेवा का संव्यवहार किसी सहयुक्त उद्यम के साथ है, वहां सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे ''उचंत खाता'' या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, यथास्थिति, जमा की गई या उससे विकलित किसी रकम';

(ई) धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सेवा कर विवरणी के तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए स्कीम।

''71. (1) धारा 70 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, धारा 70 के अधीन विवरणी तैयार करने और देने में किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगा और स्कीम के अधीन उस रूप में कार्य करने के लिए किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विवरणी तैयार करने और देने में सहायता करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता'' से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(ख) ''व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिससे धारा 70 के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी देने की अपेक्षा की गई है ।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया जाएगा ;

(ख) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा पूरा किए जाने वाला अपेक्षित प्रशिक्षण और अन्य शर्तें ;

(ग) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के लिए आचार संहिता ;

(घ) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(ङ) वे परिस्थितियां, जिनके अधीन किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को दिया गया प्राधिकार वापस लिया जा सकेगा;

(च) कोई अन्य विषय, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या किया जाए ।

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण।

72. यदि सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यक्ति—

(क) धारा 70 के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है ;

(ख) विवरणी देने के पश्चात् इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का निर्धारण करने में असफल रहता है,

तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लेखे, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उपलब्ध हैं या जो उसने इकट्ठी की हैं, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कराधेय सेवा के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय या निर्धारिती को प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा।"।

(उ) धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

उन नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यत्र कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

''77. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है या उससे रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, धारा 69 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा ;

(ख) जो इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने, उनका अनुरक्षण करने या उन्हें प्रतिधारित करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ;

(ग) कोई व्यक्ति जो—

(i) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है; या

(ii) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने में असफल रहता है; या

(iii) जब उसे किसी जांच में कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है; या

ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा;

(घ) जिससे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ङ) जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार गलत या अपूर्ण ब्यौरों के साथ बीजक जारी करता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक का हिसाब रखने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अध्याय में अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।'।

(ऊ) धारा 78 के चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि यदि इस धारा के अधीन शास्ति संदेय है तो धारा 76 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।"।

(ए) धारा 83 में, ''धारा 35च'' शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ''धारा 35चच" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ऐ) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो आदेश के

तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे।'';

(ii) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु जहां आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी जिन पर उसकी राय भिन्न है और अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को निर्देश देगा कि वह आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।'।

(ओ) धारा 94 की उपधारा (4) में, ''बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 93 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 71 के अधीन बनाई गई स्कीम और धारा 93 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(औ) धारा 95 की उपधारा (1घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1ङ) यदि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2008 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।''।

अध्याय 6

सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

86. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008 है ।

(2) यह 1 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं।

87. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1994 का 32

(क) ''अध्याय'' से वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है ;

(ख) ''अभिहित प्राधिकारी'' से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ;

(ग) ''व्यक्ति'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध कोई बकाया कर लंबित है ;

(घ) ''विहित'' से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(ङ) ''बकाया कर'' से अध्याय के अधीन देय या संदेय या उद्ग्रहणीय, किंतु 1 मार्च, 2008 को असंदत्त ऐसा सेवा कर, उपकर, ब्याज या शास्ति अभिप्रेत है, जिसकी बाबत,—

(i) अध्याय के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ii) अध्याय के अधीन 1 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी की गई है ;

(च) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

स्कीम का लागू होना।

88. यह स्कीम अवधारण के किसी विनिश्चय, आदेश, यथास्थिति, ऐसी किसी मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना को लागू नहीं होगी,—

(i) जो बकाया कर, जिसके अंतर्गत सेवा कर भी है, से संबंधित है और ऐसे सेवा कर की रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक है ; या

1994 का 32

(ii) जहां ऐसा आदेश या सूचना वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73क के अधीन किया गया है या जारी की गई है ।

कर संदाय का समाधान।

89. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई व्यक्ति, 1 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात्, किंतु 30 सितंबर, 2008 को या उसके पूर्व, ऐसे बकाया कर की बाबत धारा 90 के उपबंधों के अनुसार अभिहित प्राधिकारी को कोई घोषणा करता है, वहां अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम इसमें नीचे विनिर्दिष्ट दरों से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां बकाया कर, यथास्थिति, अवधारण या निर्धारण या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण उद्भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से ;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज, उद्‌गृहीत शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां ऐसे बकाया कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से :

परंतु यदि उद्‌गृहीत शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा ;

(ख) जहां बकाया कर, यथास्थिति, हेतुक दर्शित करने की सूचना या मांग सूचना के कारण उद्‌भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से ;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज, उद्‌ग्रहणीय शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां अधिकतम उद्‌ग्रहणीय शास्ति और संदेय ब्याज के पच्चीस प्रतिशत की दर से :

परंतु यदि उद्‌ग्रहणीय शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा ।

घोषणा में दी जाने वाली विशिष्टियां।

90. धारा 89 के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी को की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

बकाया कर के संदाय का समय और रीति।

91. (1) अभिहित प्राधिकारी, धारा 89 के अधीन घोषणा के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का, आदेश द्वारा अवधारण करेगा :

परंतु जहां घोषणा में की गई कोई तात्विक विशिष्टि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किसी प्रक्रम में मिथ्या पाई जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि घोषणा कभी नहीं की गई थी और अध्याय के अधीन सभी लंबित कार्यवाही पुनः प्रवर्तित हुई समझी जाएगी ।

(2) घोषणाकर्ता, उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि का संदाय करेगा और ऐसे संदाय के तथ्य की उसके सबूत सहित अभिहित प्राधिकारी को सूचना देगा और तब अभिहित प्राधिकारी घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) इस स्कीम के अधीन संदेय राशि का अवधारण करने वाला उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश उसमें कथित विषयों की बाबत निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को अध्याय के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः खोला नहीं जाएगा ।

(4) जहां घोषणाकर्ता ने किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय के समक्ष बकाया कर के कारण दिए जाने वाले किसी आदेश या सूचना के विरुद्ध कोई अपील, निर्देश या हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का प्रत्युत्तर फाइल किया है, वहां अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील, निर्देश या उत्तर वापस ले लिया गया समझा जाएगा :

परंतु जहां घोषणाकर्ता ने किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष बकाया कर के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध रिट याचिका, अपील या निर्देश फाइल किया है, वहां घोषणाकर्ता ऐसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश वापस लेने के लिए आवेदन फाइल करेगा और न्यायालय की इजाजत से ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश के वापस ले लिए जाने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट संसूचना के साथ ऐसे वापस लेने का सबूत देगा ।

कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।

92. कोई अपील प्राधिकारी, घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया कर से संबंधित ऐसे किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा, जिसकी बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 91 के अधीन कोई आदेश किया गया है ।

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का लौटाया न जाना।

93. धारा 89 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कोई रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाई नहीं जाएगी ।

शंकाओं का दूर किया जाना।

94. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 91 की उपधारा (3) में अभिव्यक्त रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस स्कीम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को उन बातों के सिवाय, जिनके संबंध में घोषणा की गई है, किन्ही कार्यवाहियों में कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

95. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

96. (1) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा धारा 90 के अधीन की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ख) उस प्रमाणपत्र का प्ररूप, जो धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत उपबंध किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों से पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 7

वस्तु संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

97. (1) इस अध्याय का विस्तार, संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू होगा ।

परिभाषाएं।

98. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1961 का 43

(1) ''अपील अधिकरण'' से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(2) ''निर्धारण अधिकारी'' से वह आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(3) ''वस्तु संव्यवहार कर'' से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(4) ''विहित'' से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(5) ''कराधेय वस्तु संव्यवहार'' से मान्यताप्राप्त संगमों में व्यवहार किए गए माल के विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प या किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न के क्रय या विक्रय का संव्यवहार अभिप्रेत है'';

1952 का 74
1961 का 43

(6) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार।

99. इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता द्वारा संदेय होगा :

सारणी

क्रम सं0	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माल में विकल्प या किसी वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
2.	जहां किसी विकल्प का प्रयोग किया गया है, वहां माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में किसी विकल्प का विक्रय	0.125 प्रतिशत	विक्रेता
3.	अन्य वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	क्रेता

कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

100. धारा 99 में सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य,—

(क) क्रम सं0 1 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, विकल्प प्रीमियम होगा;

(ख) क्रम सं0 2 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वह कीमत होगी जिस पर माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प तय किया जाता है ;

(ग) क्रम सं0 3 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प की तय की गई कीमत होगी ।

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली।

101. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), यथास्थिति, ऐसे क्रेता या विक्रेता से, जो उस मान्यताप्राप्त संगम में कराधेय वस्तु संव्यवहार करता है, धारा 99 में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत वस्तु संव्यवहार कर का, प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खाते में उक्त कर का संदाय करने का दायी होगा।

विवरणी का दिया जाना।

102. (1) प्रत्येक निर्धारिती, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय सीमा के भीतर, उस मान्यताप्राप्त संगम में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय सीमा के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे ।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय सीमा के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

निर्धारण ।

103. (1) इस अध्याय के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जिसने धारा 102 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, चाहे कोई विवरणी दी गई है या नहीं, किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की उससे अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिनमें उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की है, लिखित आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य निर्धारित करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय वस्तु संव्यवहार कर या देय प्रतिदाय का अवधारण करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदेय है तो ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा ।

भूल की परिशुद्धि ।

104. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसमें संशोधन किए जाने की वांछा की गई है, पारित किया गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा इसकी जानकारी में लाई गई किसी भूल पर उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ।

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या किसी प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) इस धारा के अधीन संशोधन का आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित में किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा प्रतिदाय देगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

वस्तु संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज।

105. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 101 के अधीन यथा अपेक्षित वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

106. कोई निर्धारिती, जो,— वस्तु संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति।

(क) धारा 101 के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है ; या

(ख) वस्तु संव्यवहार कर संगृहीत करने के पश्चात् ऐसे कर का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 105 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, वस्तु संव्यवहार कर की उस रकम के बराबर, जिसका संग्रहण करने में वह असफल रहा था, राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 105 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा, तथापि इस खंड के अधीन शास्ति उस वस्तु संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

107. जहां कोई निर्धारिती विहित समय सीमा के भीतर धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा । विहित विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

108. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती उसके द्वारा संदेय किसी वस्तु संव्यवहार कर और ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी प्रत्येक असफलता जारी रहती है, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा । सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

109. (1) धारा 106 या धारा 107 या धारा 108 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधान के लिए यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था । कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

1961 का 43

110. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे :— आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

111. (1) धारा 103 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 104 के अधीन किसी अन्य आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने वाले उसके दायित्व से इन्कार करने वाले किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन शास्ति के अधिरोपण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा । आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

112. (1) धारा 111 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । अपील अधिकरण को अपील।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 111 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त को प्राप्त होता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में, उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है, वहां आय-कर

1961 का 43

अधिनियम, 1961 की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

113. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा मिथ्या कथन करता है या ऐसा लेखा या कथन परिदत्त करता है, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा । मिथ्या कथन के लिए शास्ति ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थ के भीतर असंज्ञेय समझा जाएगा । 1974 का 2

अभियोजन का संस्थित किया जाना।

114. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 113 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

115. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय सीमा, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 102 के अधीन परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी या दी जाएगी ; और

(ख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 111 या धारा 112 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वह सत्यापित की जा सकेगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात्, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पश्चात् दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह तत्पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

116. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	4,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	24,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	20,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	11,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

http://indiabudget.nic.in

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,	
और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वहां	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से :

परंतु ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगीः—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत उधार लिए गए धन या ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख) (ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(iii) प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ;

(आ) इस भाग की मद 2 में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाता है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज के अधीन प्रभार्य अनुषंगी फायदे या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदा है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	15,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	55,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	52,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,25,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,25,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 3,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	7,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	47,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी जो उस आय की रकम से अधिक है जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,	
और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है, किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 72(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, टैरिफ मद 2402 10 10 और मद 2402 10 20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2716 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2000 रुपए प्रति 1000 किलोवाट" प्रविष्टि रखी जाएगी।

http://indiabudget.nic.in

तीसरी अनुसूची

[धारा 72(ii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, शीर्ष सं0 12 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी।

http://indiabudget.nic.in

चौथी अनुसूची

(धारा 81 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 22 सितंबर, 1994 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 699(अ) द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 12 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह और कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क की रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगी जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।"।	8 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2001 तक (दोनों दिनों सहित)।

http://indiabudget.nic.in

पांचवीं अनुसूची

(धारा 82 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 21 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 का नियम 18 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999], सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001], के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।"।	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक (दोनों दिनों सहित)।

http://indiabudget.nic.in

छठी अनुसूची

(धारा 83 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभाव की अवधि**
(1)	(2)	(3)
तारीख 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का नियम 18 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] या सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001] या भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [56/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002], सं. सा.का.नि. 765(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [57/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002] या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ), तारीख 25 जून, 2003 [56/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जून, 2003], सं. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 9 सितंबर, 2003 [71/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 सितंबर, 2003] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।"।	1 मार्च, 2002 से 7 दिसंबर, 2006 तक (दोनों दिनों सहित)।

http://indiabudget.nic.in

सातवीं अनुसूची

(धारा 84 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "659 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1068 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "450 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 39 के टिप्पण 16 में, "धातुकरण" शब्द के स्थान पर, "धातुकरण या पटलीकरण या लेकरकरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8523 80 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

http://indiabudget.nic.in

आठवीं अनुसूची

(धारा 117 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची में,—

(1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "145 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) टैरिफ मद 2709 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	**माल का वर्णन**	**इकाई**	**शुल्क की दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
"8517 12	-- सेल्यूलर नेटवर्कों या अन्य वायरलैस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन :		
8517 12 10	--- पुश बटन की तरह के	इ0	1%
8517 12 90	--- अन्य	इ0	1%" ;

(4) उपशीर्ष 5402 20, टैरिफ मद 5402 20 10, 5402 20 90, 5402 33 00, 5402 46 00, 5402 47 00, 5402 52 00, 5402 62 00, 5406 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

http://indiabudget.nic.in

नौवीं अनुसूची

[धारा 120(ii) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की सातवीं अनुसूची में,—

(1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "110 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

http://indiabudget.nic.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
29 फरवरी, 2008

पी० चिदम्बरम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के
अधीन
राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 29 फरवरी, 2008 के पत्र सं० फा० 2(9)-बी०(डी०)/2008 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2008 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 29 फरवरी, 2008 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

http://indiabudget.nic.in